पत्रांक : 5प / राज्य स्कीम–02–05 / 2025 / 102(अनु०) / पं०रा०
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियां, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा एवं वैशाली।

पटना, दिनांक 18.03.26

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 87(स्वी०) दिनांक 16.03.2026 के आलोक में राज्य के कुल 370 निर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹18,50,00,000.00 (अठारह करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 87(स्वी०) दिनांक 16.03.2026 द्वारा राज्य योजना मद से राज्य के कुल 370 निर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुरूप उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल ₹18,50,00,000.00 (अठारह करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के कुल 370 निर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए उपस्कर क्रय हेतु ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की दर से संलग्न अनुलग्नक–01 के अनुरूप कुल ₹18,50,00,000.00 (अठारह करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–16 के राज्य स्कीम अंतर्गत ''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0114–ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु'' मद के विषय शीर्ष–0114.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग सख्या 16 एवं विपत्र कोड 16–2515008000114 है।

Amit

18/3/26

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\P 2515008000114\Letter.docx

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे, जो आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिंता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस आवंटित राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 87(स्वी०) दिनांक 16.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

18/3/26

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\P 2515008000114\Letter.docx

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–05/2025 के पृष्ठ संख्या 10/टि० पर दिनांक 17.03.2026 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

18/3/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–05/2025/102(अनु) पं०रा०पटना, दिनांक 18.03.26
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–05/2025/102(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 18.03.26
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/3/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

Amit

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\P 2515008000114\Letter.docx